

बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार
(वेबसाइट - <https://csbc.bihar.gov.in>)

महत्वपूर्ण सूचना

संदर्भ : विज्ञापन संख्या - 02/2025 (बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद हेतु)
विषय- मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम संबंधी सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार पुलिस में 'चालक सिपाही' पद की 4,361 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 02/2025 दिनांक 17.07.2025 को प्रकाशित किया गया था और लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 15,516 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) दिनांक 12.03.2026 से 24.03.2026 तक आयोजित की गयी थी। PET के आधार पर पात्र 11,847 अभ्यर्थियों की सूची से सम्बन्धित सूचना दिनांक 28.04.2026 को पर्षद के वेबसाइट एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है।

मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा समय-सारणी एवं प्रवेश-पत्र :

- उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थियों की मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) दिनांक 24 अगस्त, 2026 से प्रारम्भ की जायेगी। अभ्यर्थियों के मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) की तिथि, स्थान एवं प्रवेश-पत्र की सूचना दिनांक 10.08.2026 समय 00:00 बजे से पर्षद की वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in> के "Bihar Police" टैब पर उपलब्ध रहेगी, जहाँ से प्रवेश-पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई-प्रवेश-पत्र download नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 21.08.2026 एवं 22.08.2026 को केन्द्रीय चयन पर्षद के बैंक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट), पटना 800001 स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक डुप्लिकेट प्रवेश-पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी को भी प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।
- मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा में कार, जीप एवं बस/ ट्रक चलाने की परीक्षाएँ होंगी। मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा के मानदण्डों के लिए कृपया पूर्व प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें।
- उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। सभी परीक्षाओं में विहित अर्हता/ मानदण्डों के लिए विस्तृत विवरण विज्ञापन में प्रकाशित सूचना के अनुसार है।

6. चयनित अभ्यर्थियों की मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश-पत्र पर दर्ज रहेगी।
7. मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

दस्तावेज सत्यापन :

8. मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा।
9. मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश-पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे :
 - i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आदि।
 - ii. विज्ञापन की तिथि 17.07.2025 से कम से कम एक (01) वर्ष पूर्व अर्थात् 17.07.2024 तक निर्गत हल्का मोटर वाहन (LMV) / भारी मोटर वाहन (HMV) की चालन अनुज्ञप्ति (मूल में)।
 - iii. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति)।
 - iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
 - v. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
 - vi. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए-
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
 - vii. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए-
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र; एवं
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
 - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म - xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - viii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए -
 - जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण-पत्र (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा); एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।

- ix. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए -
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 अथवा 2024-2025 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में निर्गत प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- x. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए -
 - सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी) द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने सम्बन्धी पहचान प्रमाण-पत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19.06.2024 सहपठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के प्रपत्र-3 अथवा प्रपत्र-4 में निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र); एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- xi. बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों के लिए -
 - विज्ञापन 02/2025 के परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न सक्षम प्राधिकार से निर्गत **“संविदा नियोजन अवधि प्रमाण पत्र”**। बिहार पुलिस मुख्यालय का पत्र संख्या पी0-04/04-01-58-2024/69 दिनांक 13.05.2025 के अनुसार **“संविदा नियोजन अवधि प्रमाण पत्र”** निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार संबंधित जिला/ वाहिनी/ इकाई के वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ समादेष्टा एवं समकक्ष होंगे।
- xii. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार यथा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

नोट -

1. आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही देय है।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/ अविवाहित) का जाति प्रमाण-पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। यही प्रावधान NCL के सम्बन्ध में भी रहेगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 11/आ0वि0-12/2026 सा0प्र0 5718 दिनांक 25.03.2026 के आलोक में आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।

10. **ड्राईविंग लाईसेंस एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य DET के दिन ही सम्पादित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।**

11. वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) स्थल में बिना प्रवेश-पत्र के किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सामान्य निर्देश :

12. मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता पूर्णतः औपबंधिक है, किसी भी चरण में कदाचार की शिकायत अथवा अभिलेख आदि असंतोषजनक पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
13. मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) एवं अभिलेख संवीक्षा आदि, किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।
14. सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 02/2025 में वर्णित सभी शर्तों / प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
15. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/-

अध्यक्ष

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

बिहार

ज्ञापांक 33/के0च0प0(सू0)

संयिका संख्या -08/के0च0प0 (परीक्षा शाखा) 08/2025

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार

05, हार्डिंग रोड, पटना-800 001

दिनांक 31/07/2026